

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रुद्रपुर को स्वच्छ भारत मिशन एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अन्तर्गत रुद्रपुर शहर को GFC 1 Star घोषित करने हेतु नगर निगम रुद्रपुर को प्रारंभिक एवं आई0सी0संकल्प के माध्यम से घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत नगर निगम रुद्रपुर द्वारा केन्द्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार कचरा मुक्त शहर स्टार रेटिंग दिशा निर्देशों के अनुसार स्टार प्लस स्थिति प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता की घोषणा करता है। नगर निगम रुद्रपुर ने आवासन और शहरी विकास मंत्रालय स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल तहत के लिए आवश्यक सभी मानदंडों का सफलता पूर्वक पालन किया है। यह उपलब्धि हमारे शहर में निरंतर स्वच्छता मानकों, नागरिक मानकों, नागरिक स्वच्छता मानकों, नागरिक सहभागिता और टिकाऊ कचरा प्रबंधन को दर्शाती है।

- डोर-टू-डोर कचरा संग्रह और स्रोत पर पृथक्करण।
- कचरा प्रबंधन।
- कचरे का प्रभावी प्रसंस्करण और स्रोत पर पृथक्करण।
- नागरिक जागरूकता और सहभागिता।

उपरोक्त के क्रम में इस सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की समय अवधि में सर्वसाधारण से आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित की जाती है। निर्धारित समयवधि में नगर निगम कार्यालय, रुद्रपुर में कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक अपनी आपत्तियों/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्राप्त दावे/आपत्तियों/सुझाव के निराकरण पश्चात् अंतिम संकल्प के माध्यम से रुद्रपुर नगर निगम को GFC 1 Star घोषित करते हुए उत्तराखण्ड शासन को अवगत कराया जायेगा।
सूचित होंगे।

-ह0-

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर

-ह0-

जिलाधिकारी/प्रशासक
ऊधमसिंह नगर



कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tele- 05944-242400 e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक:-2024/स्वा0अनु0/2024-25

दिनांक-30/10/2024

प्रतिलिपी-

- 1 - जिलाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 2 - मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 3 - मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4 - नगर निगम रुद्रपुर कार्यालय में सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5 - सम्पादक "दैनिक जागरण" समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में 08X06 साईज में न्यूनतम दरों पर प्रकाशित करते हुए बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (अपनी व्यवसायिक दरों में 30 प्रतिशत से अधिक छूट देने का कष्ट करें)
- 6 - श्री कमल तिवारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर निगम को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार सार्वजनिक सूचना को नगर निगम की वेबसाईट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर